क्रम संख्या–190 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 08 दिसम्बर, 2016 ई0

अग्रहायण 17, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 358/XXXVI(3)/2016/72(1)/2016

देहरादून, 08 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2016"** पर दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 34 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2016
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 34, वर्ष 2016)

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

1.(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

धारा 9 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 9 की उपधारा (1) में शब्द "दस रूपये" के स्थान पर शब्द "बीस रूपये" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र खुल्वे,

प्रमुख सचिव।

No. 358/XXXVI(3)/2016/72(1)/2016

Dated Dehradun, December 08, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttrakhand Advocate Welfare Fund (Amendment) Bill, 2016'** (Adhiniyam Sankhya 34 of 2016).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 07 December, 2016.

THE UTTARAKHAND ADVOCATE WELFARE FUND (AMENDMENT) ACT, 2016

(Uttarakhand Act no. 34, Year 2016)

An

Act

Further to amend the sub-Section(1) of section 9 of the Uttar Pradesh Advocate Welfare Fund Act, 1974 in its application to the State of Uttarakhand.

BE it enacted by the State Legislature of Uttarakhand in the Sixty-Seventh year of the Rebublic of India as follows :-

Short title and extent **1.** (1) This Act may be called the Uttarakhand Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall come into force at once.

(3) It shall extends to the whole of Uttarakhand.

Amendment of Setion 9 **2.** (1) In sub-section (1) of Section 9 of the Uttar Pradesh Advocate Welfare Fund Act, 1974 (as applicable to the State of Uttarakhand) for the words "ten rupees" the words "twenty rupees," shall be substituted.

By Order,

RAMESH CHANDRA KHULBE,
Principal Secretary.

388/16

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 1974)(उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) उत्तराखण्ड राज्य में कतिपय संशोधनों के साथ लागू है। विगत 10 वर्षों से अधिवक्ता कल्याण कोष में वृद्धि नही हो सकी है, ऐसी स्थिति में अधिवक्तागण के हितों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में स्थापित अधिवक्ता कल्याण कोष में वृद्धि किया जाना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक ही नही अपरिहार्य भी है। अतः प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से उक्तवत संशोधन अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी संशोधन है।

2— प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 41 विधायी / 608–2016–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।